न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 194 / 2023

उनवान

1– केशर खां पिता हगामदार खां कायमखानी निवासी शाहपुरा

2– नानालाल खां पिता हगामदार खां कायमखानी निवासी शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामस्वरूप पिता मांगीलाल जाट निवासी मोहनबाड़ी फुलिया गेट के पास, शाहपुरा

2– अशोक पिता मूलचंद जाट निवासी मोहनबाड़ी फुलिया गेट के पास,- शाहपुरा

3– महावीर प्रसाद पिता लादूलाल जाट निवासी मोहनबाड़ी फुलिया गेट के पास, शाहपुरा

4– सूरजमल पिता हजारी जाट निवासी मोहनबाड़ी फुलिया गेट के पास, शाहपुरा

5– युसूफ मंसूरी पुत्र बालू अली पिनारा निवासी शोरगरों का मोहल्ला, शाहपुरा

6– रामनारायण पिता भूरालाल महाजन निवासी बद्री का चौक शाहपुरा

7– रामप्रसाद पिता कन्हैयालाल जाट निवासी दादाबाड़ी फुलिया गेट, शाहपुरा

8– अशोक कुमार पुत्र हरीशचन्द्र धाबाई निवासी शिक्षक कॉलोनी शाहपुरा

9– पुखराज पुत्र हरीशचन्द्र धाबाई निवासी शिक्षक कॉलोनी शाहपुरा

10– मु. भूर पत्नी मोहम्मद अली कायमखानी निवासी अहमद नगर, शाहपुरा

11– बिरदीचन्द पिता भंवरलाल तम्बोली निवासी महलों के पीछे, शाहपुरा

12– शम्भूलाल पिता सोहनलाल तम्बोली निवासी रामनगर, शाहपुरा

13– शौकत खां पिता मिश्री खां कायमखानी निवासी खारे कुए के पास, कायमखानी मोहल्ला शाहपुरा

14– अयूब खां पिता ईब्राहिम खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, शाहपुरा

15– ईकबाल खां पिता उम्मेद खां कायमखानी निवासी फूलिया गेट के बाहर, शाहपुरा

16– वसीम पुत्र यासीन मोहम्मद कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला शाहपुरा

17– युनुस खां पुत्र यासीन मोहम्मद कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला शाहपुरा

18– ईलियास खां पुत्र उम्मेद खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला शाहपुरा

19– उस्मान खां पिता उम्मेद खां कायमखानी निवासी फूलिया गेट के बाहर शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री सोहेल खां कायमखानी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **13/12/2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 2365 रकबा 0.86 है0, 2312 रकबा 2.72 है0** कुल किता **2** रकबा **3.56** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 लगायत 15, 18, 19** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 1, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 17** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 3.56 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1400/- रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **13/12/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा